प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद में प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में कृषि मंत्रालय, संघ सरकार के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह हैं जो 2007-08 से 2012-13 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।